प्रेषक,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्रांक :774/एस0टी0–एस0डी0एम0/2024 दिनांक :23 जनवरी, 2024

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा ओ0ए0 संख्याः 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में एक्शन टेकन रिपोर्ट पत्र संख्या 696ए/एस0टी0–एस0डी0एम0/2023 दिनांक 13.10.2023 के द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में पुनः मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ ने समस्त सम्बन्धित विभागों से अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट प्राप्त कर अपने पत्र संख्या 854/मनरेगा/2023–24 दिनांक 21 जनवरी, 2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया है एवं माह फरवरी के प्रथम सप्ताह में समिति की बैठक आयोजित कर तालाब के जीर्णोद्धार एवं विकास के सम्बन्ध में चरणबद्ध रूप से कार्य किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की पीठ के समक्ष अग्रेतर निर्देशार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

जिलाधिकारी
लखनऊ

संख्या व दिनांक तद्।

प्रतिलिपि :–

1. श्री भंवर सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के क्रम में अनुपालनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चतुर्थ तल, बी ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
लखनऊ

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्रांक :774 / एस0टी0–एस0डी0एम0 / 2024 दिनांक :23 जनवरी, 2024

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 602 / 2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा ओ0ए0 संख्याः 602 / 2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में एक्शन टेकन रिपोर्ट पत्र संख्या 696ए / एस0टी0–एस0डी0एम0 / 2023 दिनांक 13.10.2023 के द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में पुनः मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ ने समस्त सम्बन्धित विभागों से अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट प्राप्त कर अपने पत्र संख्या 854 / मनरेगा / 2023–24 दिनांक 21 जनवरी, 2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया है एवं माह फरवरी के प्रथम सप्ताह में समिति की बैठक आयोजित कर तालाब के जीर्णोद्धार एवं विकास के सम्बन्ध में चरणबद्ध रूप से कार्य किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की पीठ के समक्ष अग्रेतर निर्देशार्थ / आदेशार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

जिलाधिकारी
लखनऊ

संख्या व दिनांक तद्।

प्रतिलिपि :–

1. श्री भंवर सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के क्रम में अनुपालनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चतुर्थ तल, बी ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
लखनऊ

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्रांक :774/एस0टी0–एस0डी0एम0/2024 दिनांक :23 जनवरी, 2024

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा ओ0ए0 संख्याः 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में एक्शन टेकन रिपोर्ट पत्र संख्या 696ए/एस0टी0–एस0डी0एम0/2023 दिनांक 13.10.2023 के द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में पुनः मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ ने समस्त सम्बन्धित विभागों से अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट प्राप्त कर अपने पत्र संख्या 854/मनरेगा/2023–24 दिनांक 21 जनवरी, 2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया है एवं माह फरवरी के प्रथम सप्ताह में समिति की बैठक आयोजित कर तालाब के जीर्णोद्धार एवं विकास के सम्बन्ध में चरणबद्ध रूप से कार्य किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की पीठ के समक्ष अग्रेतर निर्देशार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

जिलाधिकारी
लखनऊ

संख्या व दिनांक तद्।

प्रतिलिपि :–

1. श्री भंवर सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के क्रम में अनुपालनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चतुर्थ तल, बी ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
लखनऊ

प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक 854/मनरेगा/2023-24 दिनांक 21 जनवरी, 2024

विषयः-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-602/2022, उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.03.2023 के अनुपालन में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या-695/एस0टी0-एस0डी0एम0/2023 दिनांक13.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोमतीनगर, लखनऊ के पत्र संख्या-1547/ओ0ए0 संख्या 602/2023 दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 के कम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-602/2022, उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश के अनुपालन में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के कम में सम्बन्धित विभागों से अद्यतन एक्शन टेकेन रिपोर्ट प्राप्त की गयी। अद्यतन एक्शन टेकेन रिपोर्ट निम्नवत हैः-

1. क्षेत्रीय वनाधिकारी, सरोजनीनगर, रेन्ज लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-266 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि चॉदे बाबा तालाब के संरक्षण हेतु कुल 1000 पौधों का रोपण एवं खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ के पत्र संख्या-1224 दिनांक-04.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि मनरेगा योजना से 1250 पौधों का रोपण तालाब के चारों ओर किया गया है (पत्र की प्रति एवं फोटोग्राफ संलग्न)।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ द्वारा माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी हैः-
   (I) तालाब के जल स्त्रोतों हेतु सोकपिट का निर्माण कराये गये है, जिससे अपशिष्ट जल को घर से दूर एकत्र करने और निपटाने में मदद मिलती है। सोकपिट अपशिष्ट जल में मौजूद प्रदूषकों के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। कार्य स्थल निम्नवत हैः-
   a- गढ़ी चुनौटी में मुन्नीलाल के दरवाजे के पास सोकपिट निर्माण।
   b- गढ़ी चुनौटी में रमेश पुत्र बाबूलाल के घर के पास सोकपिट निर्माण।
   c- गढ़ी चुनौटी में नरेन्द्र के घर के पास सोकपिट निर्माण।

Scanned with ACE Scanner

(II) तालाब के जल स्त्रोतों हेतु फिल्टर चैम्बर का निर्माण कराया गया है, जो गाद, मिट्टी, तलछट धातुओं एवं कीटनाशकों को जल भण्डारण प्रणाली में प्रवेश करने एवं नुकसान पहुचाने से रोकते है। कार्य स्थल निम्नवत है:–

a- नटखेड़ा में पुलिया के पास फिल्टर चैम्बर निर्माण कार्य।

(III) तालाबों के जल स्त्रोतों हेतु सिल्ट कैचर का निर्माण कराया गया है, जो कि सिल्ट को टैंक के तल पर एकत्रित करके पानी को फिल्टर करने का काम करता है। कार्य स्थल निम्नवत है:–

a- दरियापुर से नटखेड़ा तक नाली निर्माण व सिल्ट कैचर कार्य।

(IV) दूषित जल प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से निकालने हेतु नाली निर्माण कराया गया है। कार्य स्थल निम्नवत है:–

a- चन्द्रिका के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य। (फोटोग्राफ संलग्न)।

3. उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है:–

a- तालाब गाटा संख्या–268 में आवासीय समस्त 123 परिवारों को सर्वे कराकर सूची तैयार कर ली गयी है।

b- उक्त 123 परिवारों में से 05 परिवारों को बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

c- अवशेष 118 अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन परिवारों को अन्य ग्राम लोनहा में आवासीय भूमि चिन्हित कर नियमानुसार आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इसके अतिरिक्त माननीय अधिकरण के आदेशों के अनुपालन हेतु तालाब के संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण को चरणबद्ध रूप से विकसित किये जाने हेतु एक संयुक्त समिति का गठन मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या–833 दिनांक–05.01.2024 (पत्र की छायाप्रति संलग्न) द्वारा किया गया है, जो स्थलीय निरीक्षण करते हुये विस्तृत आख्या उपलब्ध करायेगी। संयुक्त समिति की आख्या के साथ माह फरवरी के प्रथम सप्ताह में बैठक आयोजित कर तालाब के जीर्णोद्धार एवं विकास के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। **उक्त कम में श्री आनन्द मल्लिगवाड, लेक मैन ऑफ इण्डिया से भी तकनीकी मार्ग दर्शन हेतु वार्ता की गयी है। उनके द्वारा फरवरी–2024 के प्रथम सप्ताह में चॉदे बाबा तालाब का निरीक्षण करते हुये तकनीकी सलाह दी जायेगी, जिसके अनुसार तालाब के संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण की डी0पी0आर0 तैयार कर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।**

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

Ajay

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

Scanned with ACE Scanner

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

दिनांक 05 जनवरी, 2024

पत्रांक–833/मनरेगा /2023–24

–::कार्यालय आदेश::–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–602/2022, उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश के समादर में गढ़ी चुनौटी तहसील व विकास खण्ड सरोजनीनगर जनपद–लखनऊ स्थित चॉदे बाबा तालाब की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराते हुये माननीय अधिकरण के आदेशों के अनुपालन हेतु तालाब के संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ।
2. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. उपायुक्त (श्रम रोजगार), लखनऊ।
4. उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ।
6. खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर खण्ड–2, लखनऊ।
8. सहायक अभियन्ता, शारदा नहर खण्ड–2, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ।
10. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ।
11. क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, लखनऊ।
12. क्षेत्रीय वनाधिकारी, सरोजनीनगर रेन्ज, सरोजनीनगर, लखनऊ।
13. श्री आनन्द मल्लिगवाड़, लेक मैन ऑफ इण्डिया (आमंत्रित सदस्य)

उक्त के क्रम में गठित समिति के सदस्यों (क्रमांक 01 से 12 पर नामित सदस्य) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विषयक चॉदे बाबा तालाब का स्थलीय निरीक्षण करते हुये अपनी आख्या अभिमत सहित 01 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त विषयक एक विस्तृत बैठक फरवरी–2024 के प्रथम सप्ताह में संयुक्त रूप से प्रस्तावित है, जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी। अतएव स्थलीय निरीक्षण करते हुये विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराना सुनिश्चित करें।

(अजय जैन)
मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि–श्री आनन्द माल्लिगवाड़, लेक मैन ऑफ इण्डिया को उक्तानुसार सूचनार्थ।

2– उपरोक्त समस्त अधिकारियों (क्रमांक 01 से 11 तक) को आदेश पालनार्थ।

3– जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को अवलोकनार्थ।

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

1559

Scanned with ACE Scanner

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज, लखनऊ।

(अवध वन प्रभाग, लखनऊ)

पत्रांक– 266 / ~~२१~~ 25-1 (~~कोर्टकेस~~) (लखनऊ) दिनाँक– 31/10/2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

अवध वन प्रभाग

लखनऊ।

विषयः– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या -602/2022 अरुण सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० में पारित आदेश के अनुक्रम में-चांदेबाबा तालाब परिक्षेत्र में वनविभाग द्वारा 1000 ट्री गार्ड में रोपण।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक -2151/२-१ 35-1 चांदेबाबा दि० 31/10/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है सूचित कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-602/2022 अरुण सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० में पारित आदेश के क्रम में चांदे बाबा तालाब परिक्षेत्र में खुली जगह में लिये गये निर्णय के अनुसार विभाग द्वारा किये गये 1000 आयरन ट्री-गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण का विवरण निम्नवत है:–

क्रम संख्या	आयरन ट्री गार्ड में रोपित प्रजाति	पौधों की संख्या	अभियुक्ति
1–	अर्जुन	[illegible] पौधे	
2–	जामुन	195 "	
3–	सेमल	185 "	उक्त वृक्षारोपण पूर्ण करा दिया गया है।
4–	कचनार	86 "	
5–	पीपल	10 "	
6–	बरगद	10	
7–	पाकड़	10	
	योग –	1000 पौधे	

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 31/10/2023

(शौकत उल्ला खाँ)

क्षेत्रीय वन अधिकारी

Scanned with ACE Scanner

(1)

वृक्षारोपण कार्य

दिनांक 19/10/2023 को "चौंदे बाबा तालाब" - ग्राम गढ़ी चुनौती में अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया।

दिनांक 19/10/2023 को "चौंदे बाबा तालाब" ग्राम- गढ़ी चुनौती निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया

(2)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरोजनी नगर रेंज

Scanned with ACE Scanner

ग्राम पंचायत गढी चुनौटी में चांद बाबा तालाब पर तरल अपशिष्ट प्रबंध के लिए कराये गये कार्य का विवरण

1. **तालाब के जल स्त्रोत हेतु सोक–पिट का निर्माण–** सोकपिट किसी भी घर या सामुदायिक जल निकासी प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह अपशिष्ट जल को घर से दूर सुरक्षित रूप से एकत्र करने और निपटाने में मदद करता है। सोकपिट अपशिष्ट जल में मौजूद प्रदूषकों के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में भी काम करता है। जिससे जल संचित श्रोत में जल के साथ अपशिष्ट नही पहुँचता है।

तालाब हेतु मुन्नी लाल के दरवाजे के पास निर्माणाधीन सोक–पिट

तालाब हेतु के समीप नरेन्द्र के घर के पास निर्माणाधीन सोक–पिट

Scanned with ACE Scanner

2. **तालाब के जल श्रोत हेतु फिल्टर चैंबर का निर्माण**–फिल्टर चैंबर एक बेसिन है जिसे गाद, मिट्टी, तलछट, धातुओं या कीटनाशकों को जल में जल भण्डारण प्रणाली में प्रवेश करने एवं नुकसान पहुचाने से रोकने हेतु डिज़ाइन किया गया है, दूषित जल हेतु यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है।

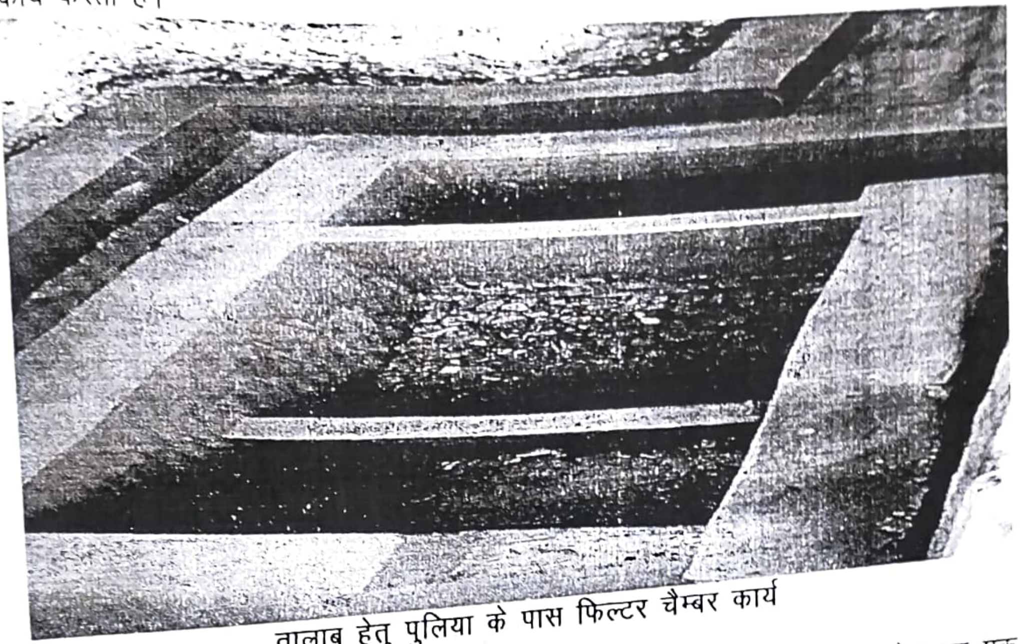

तालाब हेतु पुलिया के पास फिल्टर चैम्बर कार्य

3. **तालाब के जल श्रोत हेतु सिल्ट कैचर का निर्माण**–सिल्ट कैचर गाद संरक्षित करने वाला एक टैंक है जो दूषित जल को अस्थायी रूप से स्थिर बनाये रखने के लिए जल निकासी पर बनाया जाता है, ये दूषित पानी के साथ मिश्रित गाद को टैंक के तल पर एकत्रित करते हुए पानी को फिल्टर/छानने का कार्य करता है, जिससे मलबे को जल निकासी प्रणाली में प्रवेश करने से रोका जा सकता है।

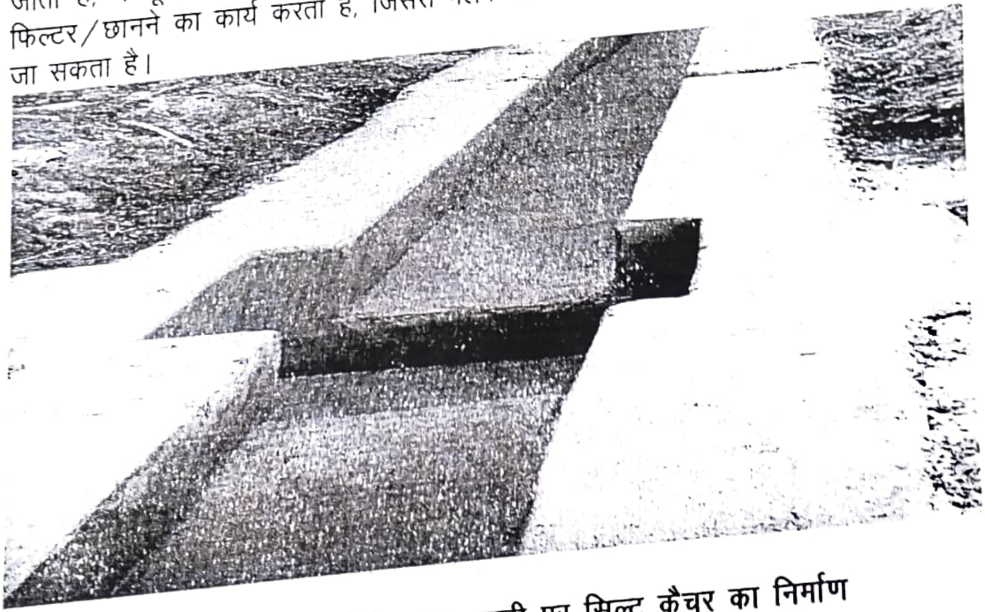

दरियापुर से नटखेड़ा तक नाली पर सिल्ट कैचर का निर्माण

W

Scanned with ACE Scanner

4. **नाली निर्माण**— नाली दूषित जल प्रवाहित करने हेतु एक सकरा मार्ग होता है इसका निर्माण अधिक पानी वाले क्षेत्र से साथ के पानी को और ऊपरी सतह के पानी को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से निकालने के लिए होता है। निर्मित नाली से प्रवाहित होने वाला जल तालाब में सीधे न जाकर उचित माध्यम से प्रवाहित हाता है।

चन्द्रिका के घर से तालाब तक नाली निर्माण

DPRO

जिला पंचायतराज अधिकारी
लखनऊ

Scanned with ACE Scanner

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी
सरोजनीनगर–लखनऊ।

सेवा में,

जिला विकास अधिकारी
लखनऊ।

पत्रांक 1224 / ओ0ए0 सं0–602 / 2022 / 2023–24 दिनांक– 04.01.2024

कृपया अपने कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी(चादे बाबा झील स्थित ग्राम पचायत) में कराये गये कार्यो का विवरण चाहा गया है। तत्क्रम में सूचना निम्नवत् है–

S.No.	Activity	Action to be taken
1	Removel of Hyacinth	शासनादेश स0–33 / 2018 / 1361 / 62–2–2018 / 3 (28) / 2018 दिनांक 19–9–2018 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 01 हे0 से कम क्षेत्रफल के तालाबों तालाबों का पुनर्विकास मनरेगा के अन्तर्गत तथा 01 हे0 से ऊपर के तालाबों का पुनर्विकास नोडल विभाग लघु सिंचाई द्वारा कार्य कराया जा सकता है। चूंकि तालाब लगभग 36 हेक्टेयर का है। वर्तमान अवस्था तालाब के दृष्टिगत 12.5 हैक्टेयर भूमि पर जलकुम्भी आच्छादित है जिस पर 12 लाख रू0 का मशीन द्वारा हटाये जाने का व्यय अनुमानित है। ग्राम सभा ने बजट का अभाव है इसलिये ग्राम पंचायत निधि से कार्य कराया जाना सम्भव नही
2	Removel of Polluted water from the pond	उक्त के क्रम मे एस0एल0एन0डब्लू0 एवं पंचम/पद्रहवा वित्त द्वारा कराये गये कार्य। 1–सिल्ट कैचर 2–नाली निर्माण 3–सोकपिट 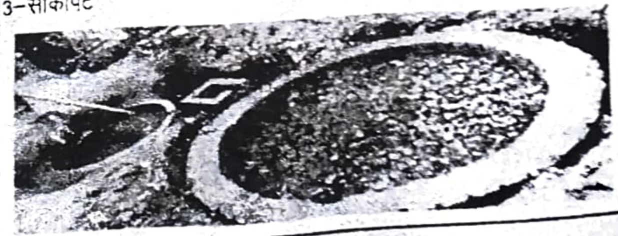

Scanned with ACE Scanner

2	Removel of Polluted water from the pond	4–फिल्टर चेम्बर 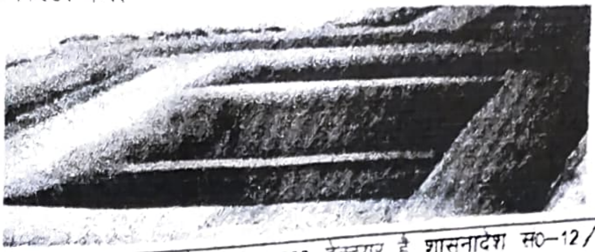
3	Rejuvenation/beautification of the pond	चूकि तालाब का क्षेत्रफल 36.909 हेक्टयर है शासनादेश स0–12/2015/242/अडतीस–5–2015–01सम/2015 दिनांक 06–04–2015 के अनुसार 01 हे0 से ऊपर के तालाबों का पुनर्विकास ग्राम पंचायत स्तर से उक्त कार्य नहीं कराया जा सकता है। पुर्नविकास ग्राम पंचायत स्तर से उक्त झील पर मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्य श्रेणी के तहत 1250 पौधो का वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है। कार्य पर व्यय धनराशि रू0 72450.00 किया गया।

संलग्नक –उपरोक्तानुसार

भवदीय

खण्ड विकास अधिकारी
सरोजनीनगर–लखनऊ।

Scanned with ACE Scanner